

**राजस्थान सरकार**  
**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**  
 अम्बेडकर भवन, जी-3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर  
 क्रमांक एफ1( )/स्था/सान्याअवि/2021/16699 जयपुर दिनांक:- 24-12-2021  
कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा- 2018 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा अनुसार कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्रांक प. 9(1) कार्मिक/क-4/2/2021 दिनांक 24.12.2021 के द्वारा नियुक्ति हेतु संदर्भित किये जाने पर राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 एवं समय-समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा में ग्रुप "ए" जिला परीवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी के पद पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष की कालावधि (परीवीक्षा काल) के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर L-12 में राशि 31100/- पारिश्रमिक वेतन भत्तों पर एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र. सं.	मैरिट संख्या	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	श्रेणी	जन्म तिथि	REMARK
1	409	810922	अमित कुमार अवस्थी पुत्र श्री राजेश कुमार शर्मा, हरि निवास, खोड़की रोड़, नगर, जिला भरतपुर।	GE	02-01-1993	
2	416	813800	अरविन्द कुमार ओला पुत्र श्री करणी राम, वार्ड न0-5, ग्राम राजीव नगर, पो0 उदावास, तहसील झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं	BC, RG	05-07-1985	Ag-GE
3	418	810179	दीपेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री नरपत सिंह शेखावत 28-A, युवराज विहार, हाथोज, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर।	GE, ME	01-11-1987	
4	1244	825336	हजारी लाल मीणा पुत्र श्री बिरदी चन्द मीणा, ग्रा0 पो0 बामनवास, कांकड़ वाया नारायणपुर तहसील थानागाजी, जिला अलवर	ST	01-01-1992	
5	1262	813814	सुनील कुमार मीना पुत्र श्री राम सिंह मीना बड़वाला की ढाणी, ग्राम पाटन, तहसील सिकराय, जिला दौसा।	ST	01-06-1997	
6	1536	810245	संजय वर्मा पुत्र श्री श्योनारायण वर्मा प्लाट न0-53 के सामने, आदर्श कॉलोनी, दाउदपुर, तहसील अलवर जिला अलवर।	SC	17-05-1990	
7	1541	800781	रेखा मेघवाल पुत्री श्री मदना राम मेघवाल निवासी ग्राम बांसेली, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर	SC, WE	21-03-1995	Ag-SC

35

उक्त नियुक्तियाँ निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है:-

1. उक्त नियुक्तियाँ मा. सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 4296/2021 सुरेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 4131/2020 ज्योति शर्मा बनाम राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 11806/2021 शिप्रा चौधरी बनाम राज्य एवं अन्य, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 7044/2020 किशन लाल सहारण एवं अन्य बनाम राज्य सरकार, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 8380/2015 राजेश शर्मा एवं अन्य बनाम राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 13582/2021 नटवर सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 13976/2021 कुलवन्त सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य एवं राज0 राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2018 से संबंधित दायर समस्त रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं (सील्ड कवर रखने के आदेश) एवं समस्त वादकरणों के अन्तिम निर्णयों के अधीन रहेगी।
2. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जाँच के अधीन रहेगी।
3. इन परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं प.14 (1) वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प.15 (1) वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (सिडूल-4/रूल्स 16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. संख्या 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधीन होगा।
4. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 15(1)कार्मिक/क-2/74 दिनांक 16.8.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
5. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वहीं है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।
6. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 एवं समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसरण में उक्त सेवा नियमों के ग्रुप 'ए' जिला परीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।
7. उक्त नियुक्तियाँ सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधीन है।
8. इन अभ्यर्थियों को परीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा

31

अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

9. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है, तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
10. सेवा से नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग-पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बंधक पत्र निष्पादित करेंगे।
11. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
12. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुये इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यक्षीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र/पुलिस वेरिफिकेशन प्रतिकूल प्राप्त होता है तो उसकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
13. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के सम्बन्ध में अभ्यर्थी को "Self declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध अमल में लाई जावेगी।
14. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् 2 से अधिक संतान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं, परन्तु प्रथम प्रसव से एक जीवित संतान है एवं पश्चावर्ती प्रसव में एक से अधिक संतान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई ही माना जायेगा।
15. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 के अनुसरण में टीएसपी वर्ग अभ्यर्थियों से उक्त अधिसूचना के क्रम में शपथ पत्र लेना आवश्यक होगा।

16. अभ्यर्थी को नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग में प्रस्तुत कर दिया है, उन्हें स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

17. उक्त सभी अभ्यर्थी कार्यग्रहण स्थान पर उपस्थिति के समय निम्न दस्तावेज साथ लेकर उपस्थित होंगे।

1. नियुक्त अभ्यर्थी आवेदन के समय धारित शैक्षणिक योग्यताओं एवं सेवा आंवटन के समय धारित अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यताओं संबंधी मूल दस्तावेज एवं उनकी 1-1 स्वप्रमाणित प्रति।
2. जन्मतिथि प्रमाण पत्र (मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति)।
3. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति)।
4. मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र (मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति)।
5. आपराधिक प्रकरणों के संबंध में 'self declaration' अथवा शपथ पत्र।
6. वैवाहिक होने की स्थिति में जीवित संतान/संतानों की सूचना।
7. गुटखे एवं धूम्रपान सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्ध प्रपत्र।

उपरोक्त दस्तावेजों के साथ निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, जी-3/1 रेजीडेन्सियल एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर में दिनांक 27.12.2021 को उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

18. उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस पश्चात तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

(ओ पी 0 बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ1( )/स्था/सान्याअवि/2021/16700-756 जयपुर दिनांक:-24-12-2021  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, जयपुर।
2. शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग (क-4/2) शासन सचिवालय जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
5. आयुक्त, बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन विभाग, राज0, जयपुर।
6. निजी सचिव निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सान्याअवि जयपुर।
8. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण.....।
9. एसीपी मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. सम्बन्धित अधिकारी श्री/श्रीमती/सुश्री .....
11. व्यक्तिगत पत्रावली।
12. कार्यालय पत्रावली।

(रतन लाल अटल)

उप निदेशक (कार्यालय प्रशासन)